न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 100/2021 बउनवानी प्रेमचन्द गुर्जर बनाम लो.सू.अधि.एवं प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख पुत्र श्री शिवलाल गुर्जर, ग्राम टोटोलाई पो.बूचोलाई, तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/294

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.12.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 20.9.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अति0जिला कलेक्टर के पत्रांक एफ. 1(90)सूकाअ/2021/1039दिनांक 24.9.2021 से प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. राजस्व ग्राम टोटोलाई मे नामा0 संख्या 292 दिनांक 20.12.2001 के आगे एवं पिछले पृष्ठ पर बनी नजरी नक्शा मे दर्ज ख0न0 263/15 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू. अभिलेख द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस प. 14/7/3/सूकाअ/भू.अ./2021/7398 दिनांक 08.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.09.2021 के बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 7398 दिनांक 8.12.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.9.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना जरिये पत्रांक 7392 दिनांक 08.12.2021 से अपीलान्ट को नामा0 संख्या 292 दिनांक 20.12.2001 की प्रति उपलब्ध करवायी गयी है, जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त नामा0 संख्या 292 दिनांक 20.12.2001 के आगे एवं पीछले पृष्ठ पर बनी नजरी नक्शा में दर्ज ख0न0 263/15 की प्रमाणित प्रति चाही गयी है। इस प्रकार प्रभारी अधिकारी भू.अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को चाही गयी पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है ओर जो सूचना दी गयी वह भी अधिनियम की तय समय 30 दिवस के स्थान पर लगभग 78 दिवस के उपरान्त दी गयी है। अतः प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण करावे एवं प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना पूर्ण एवं सही रूप में उपलब्ध करावे। यद्यपि अपीलान्ट द्वारा भी अपने [illegible] कि उक्त ख0न0 263/15 की कौनसे वर्ष की जमाबन्दी, खसरा गिरदावर [illegible] ट्रेस चाहिए। किन्तु न्यायहित मे ख0न0 263/15 की वर्तमान [illegible] को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाने [illegible] अ. को निर्देशित कि[illegible] है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण कि[illegible] जाता है। पत्रावली [illegible]मार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभि[illegible] की जावे। आदेश [illegible] न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:40 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर